राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक : बैंक ऑफ इंडिया

52वीं एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 12.08.2015

स्थान - होटल रैडिसन ब्लू , रांची

52 वां झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
52nd SLBC MEETING JHARKHAND

52 वां झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 12.08.2015. को होटल रेडिसन ब्लू, रांची में किया गया । बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री आर.पी.मराठे ने किया। श्री आर.एस.पोदार, मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त, झारखंड सरकार बैठक में मुख्य अतिथि थे । श्री अमित खरे, प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार, श्री एन.एन.सिन्हा, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार, श्री एम.के.वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना, श्री पैट्रिक बारला, महाप्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक,श्री के के ठाकुर,मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल, श्री पार्था देव दत्ता, महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, श्री एस.मण्डल, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री आई एम मलिक, महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति , झारखंड, अन्य मुख्य सचिव, सचिव, झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ कार्यपालक, झारखण्ड राज्य स्थित बैंकों के नियंत्रक/प्रमुख, झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संलग्नक 1 में बैठक के प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

प्रारंभ में श्री इंद्र मनी मलिक, महाप्रबंधक, एस एल बी सी ने अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत किया तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एसएलबीसी की महत्ता पर प्रकाश डाला । उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत विभिन्न बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया।

स्वागत भाषण Welcome Address:

श्री आर पी मराठे, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, ने अपने उद्घाटन एवं स्वागत भाषण के दौरान इस बात के लिए प्रसन्नता जाहिर की कि उन्हे इस मीटिंग मे शामिल होने का सुअवसर दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उन्होने इस सभा मे शामिल सभी गणमान्य अतिथियों एवं व्यक्तियों का अभिनंदन किया। उन्होने कहा कि झारखंड महान स्वतन्त्रता सेनानी

बिरसा मुंडा जी का राज्य है ।यह एक नया राज्य है जो कि अब विकास कि पगडंडियों पर चल पड़ा है तथा हमे एस एल बी सी का दायित्व निभाते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। श्री मराठे ने अपने भाषण के दौरान बैंकों द्वारा विगत जून, 2015 तिमाही में प्राप्त उप्लब्धियों पर संतोष जाहिर किया। उन्होनें निम्नांकित मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया :

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में से 18 जिले वामपंथी उग्रवाद (LWE) से बुरी तरह प्रभावित हैं ।बैंकों की 75 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा यहाँ का ऋण -जमा अनुपात 30-35% है जो कि काफी कम है। झारखंड राज्य मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए यहाँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का काफी महत्व है।राज्य में kcc तथा कमजोर वर्गों को संवितरित ऋण की मात्रा काफी कम है। CGTMSE कवरेज प्राप्त ऋण मात्र 22% हैं जो कि चिंता का विषय है।	समस्त सहयोगी बैंक अनुपालन सुनिश्चित करें।	समस्त बैंक
ii) राज्य में NPA का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है।वर्तमान में एन पी ए का प्रतिशत 5.97 % है। यदि इसमें Stressed accounts को ले लिया जाय तो यह बढ़ कर 10% तक हो जाएगा। इस पर बैंक एवं सरकार के संयुक्त प्रयास से हर हाल में विराम लगाने की आवश्यकता है.	समस्त बैंक एवं झारखंड सरकार अनुपालन सुनिश्चित करें।	समस्त बैंक एवं झारखंड सरकार

iii) प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख खाते खोले गए है जिसमें 75% खातों में RUPAY कार्ड निर्गत किया गया है। शेष 25% खातों में इसे प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निर्गत किए जाने की आवश्यकता है। सभी खातों को आधार से भी जोड़े जाने की आवश्यकता है। इससे KYC की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।	**समस्त सहयोगी अनुपालन सुनिश्चित करें**	**झारखण्ड सरकार/समस्त बैंक**
iv) प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू की गई 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए समस्त बैंक अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वारा भी तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और लोकप्रिय बनाने के लिए काफी ज़ोर दिया जा रहा है तथा इन योजनाओं में अधिक से अधिक एनरोलमेंट सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। परंतु हम एनरोलमेंट के इस लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की जरूरत है।	**सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख इस क्षेत्र में की गई प्रगति का निरंतर सुक्ष्म तौर पर निगरानी करें एवं सुनिश्चित करें कि शाखा स्तर पर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है।**	**समस्त बैंक**
v) भूमि अभिलेखों का अद्यतन एवं डिजिटैजेसन, सी एन टी एक्ट में आवश्यक संशोधन, राज्य सरकार द्वारा बैंकों के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन आदि मुद्दों पर राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग अपेक्षित है।	**झारखण्ड सरकार**	**झारखण्ड सरकार**

श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, रांची का संबोधन

श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने 52 वीं बैठक के सहभागी सभी बैंकर्स का स्वागत किया एवं उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) झारखण्ड राज्य में चूककर्ताओं से ऋणों की वसूली के लिए कैंप मोड अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।राज्य के कई जिलों में सी डी अनुपात 30% से कम है। स्माल तथा मार्जिनल कृषकों को संवितरित ऋण की मात्रा बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।	सभी बैंकों के नियंत्रक/प्रमुख इस क्षेत्र में की गई प्रगति का निरंतर सुक्ष्म तौर पर निगरानी करें एवं सुनिश्चित करें कि शाखा स्तर पर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है।	राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक
2) कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण समय की मांग है तथा इसके लिए बैंकों को दीर्घकालीन कृषि ऋण के संवितरण पर बल देना चाहिए। कृषि क्षेत्र में 4% की सतत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिआवश्यक है।		राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक
3) टेनैंट कृषक के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित बजट/लक्ष्य सभी बैंकों को प्राप्त करना चाहिए। 4) टेनैंट फार्म के लिए कृषकों के हित में कानून बनाने की जरूरत है ।सरकार इसके लिए उचित कानून बना सकती है।		राज्य सरकार/समस्त बैंक/एस एल बी सी राज्य सरकार

5) राज्य में RUPAY KCC कार्ड सभी खातों में निर्गत नहीं किया गया है। इसे शतप्रतिशत खातों में निर्गत किया जाना चाहिए। 6) एस एच जी क्रेडिट लिंकेज का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। 7) वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2 लाख बुनकर क्रेडिट कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसकी प्राप्ति सभी बैंकों को सुनिश्चित करनी चाहिए। 8) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दस लाख तक के ऋण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय सृजन हेतु सभी बैंको द्वारा लागू कर इसके लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करना है। इस योजना का प्रचार प्रसार भी सभी बैंकों को व्यापक रूप से करना चाहिए।		समस्त बैंक समस्त बैंक समस्त बैंक समस्त बैंक राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक

श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक का संबोधन

श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने 52वीं बैठक के लिए शुभकामनाएं दी एवं कहा कि एस एल बी सी के प्रयास काफी सराहनीय है परंतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) एम एस एम ई सैक्टर के अंतर्गत राज्य में प्रदत	सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख इस क्षेत्र में की गई प्रगति का निरंतर	राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक

ऋणों के विगत दो वर्षों के आँकड़े असंतोषप्रद रहे हैं। राज्य में इसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। एमएसएमई क्षेत्र पर काफी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। खुदरा व्यापार क्षेत्र में ऋण की पहले से ही अधिकता है।बैंक शाखा प्रबंधन के स्तर पर रुग्ण ईकाई एवं एन पी ए खातों में अंतर को समझने की आवश्यकता है।इस संदर्भ में सभी ब्रांच मैनजर को संवेदनशील बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है।	सुक्ष्म तौर पर निगरानी करें एवं सुनिश्चित करें कि शाखा स्तर पर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है।	
2) वित्तीय समावेशन सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत चलाये जा रहे प्रधानमंत्री जन धन योजना की तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।		राज्य सरकार /समस्त बैंक/एस एल बी सी
3) झारखंड राज्य में टेलीकॉम क्नेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। बीएसएनएल के साथ मिलकर इसे तुरत सुलझाने की जरूरत है। 4) सुदूर ग्रामीण लोगों को बैंकिग सेवाएं प्रदान करने के लिए अल्ट्रा स्मॉल शाखा खोला जाए एवं उन्हें		राज्यसरकार/समस्तबैंक/बीएसएनएल नाबार्ड/ राज्य सरकार/एसएलबीसी/समस्त बैंक

बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाए। बैंकों को ग्रामीण इलाकों में अपनी उपस्थिति को बखूबी महसूस कराये जाने की जरूरत है।इस संदर्भ में बैंक मित्रों/बीसी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है तथा इसके लिए बैंको द्वारा उनकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत है। 5) रुपे क्रेडिट कार्ड को लोकप्रिय बनाने एवं इसका वितरण सभी खातों में किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। 6) प्रत्येक महीने फ़िनान्सियल लिटेरसी कैंप का आयोजन निश्चित रूप से मिशन मोड के तहत किया जाना चाहिए । 7) राज्य में एन पी ए की हालत बहुत दयनीय है। इसका प्रतिशत लगभग 6% है और अगर स्ट्रेस्स्ड खातों को जोड़ दिया जाय तो इसका प्रतिशत 10 से ऊपर पहुँच जाएगा। इस पर तुरत रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। इसके लिए खातों की सघन मानीटरिंग एवं फॉलो अप,ड्यू डिलिजेन्स आदि की आवश्यकता है।		समस्त बैंक राज्य सरकार/ एस एल बी सी समस्त बैंक राज्य सरकार/ एस एल बी सी समस्त बैंक राज्य सरकार/ एस एल बी सी समस्त बैंक राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक

8) राज्य में एक लाख से अधिक सर्टिफिकेट केस लंबित है। सर्टिफिकेट केस के अंतर्गत वसूली एवं केसों के निपटारे की संख्या नगण्य है। उचित वसूली के लिए जिला स्तर पर समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की बहाली की जाए 9) कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन इनवेस्टमेंट की आवश्यकता है। राज्य में सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है।		राज्य सरकार/एस एल बी सी/बैंक राज्य सरकार/एस एल बी सी/बैंक

श्री अमित खरे, प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार का संबोधन

श्री अमित खरे, प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने 52वीं बैठक में उपस्थित सभी सहभागियों को शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने निम्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
राज्य में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हुई है। यह एक अच्छा संकेत है। परंतु एससी /एसटी को संवितरित ऋण के अनुपात में कमी आई है , यह चिंता का विषय है। बैंकों को इस क्षेत्र के लोगों को अपेक्षित ऋण मुहैया कराना चाहिए ।	समस्त सहयोगी अनुपालन सुनिश्चित करें	समस्त बैंक
ii) राज्य में सीएनटी एक्ट के लागू प्रावधानों के चलते आदिवासी अपनी जमीन को बंधक रख कर बैंकों से लोन लेने में सक्षम नहीं	झारखंड सरकार से तुरंत नियमन लाने की अपेक्षा की गई।	झारखंड सरकार

है। इसके लिए अलग से बिल लाकर कानून बनाने की आवश्यकता है।चूँकि यह विषय इस राज्य के लिए काफी जटिल है इसलिए इसमें काफी समय लग सकता है।		
iii) सर्टिफिकेट केसों के निपटारे के लिए जल्द ही समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की नियुक्ति विचारधीन है। इसके लिए अवकाश प्राप्त सर्टिफिकेट अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। उम्मीद है की यह काम जल्द हो पाएगा।		झारखण्ड सरकार
iv) राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सरकार के स्तर पर कृषि मंत्रालय का पुनर्संगठन किया गया है तथा उसके अंतर्गत पशुपालन,डेयरी,मछलीपालन तथा को-आपरेटिव विभागों को समाहित कर दिया गया है। नीति आयोग के तर्ज़ पर झारखंड राज्य विकास परिषद का भी गठन किया गया है। चूँकि झारखंड राज्य में बड़े उद्योग तथा संगठित क्षेत्र के उद्योगों की कमी है इसलिए कृषि क्षेत्र,असंगठित क्षेत्र तथा सूक्ष्म उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान दे कर इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।		समस्त बैंक

श्री आर एस पोद्दार, भा.प्र.से, अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त का संबोधन

श्री पोद्दार ने 52 वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को राज्य के विकास के लिए मिल-जुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। । उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1. **एस एल बी सी राज्य में विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में एक विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। इसकी तिमाही बैठक नियमित रूप से निश्चित रूप से पूर्व निर्धारित कैलेंडर के आधार पर की जा रही है तथा विकास कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है।** विगत तिमाही के आंकड़े उत्साहवर्धक हैं तथा सभी पैरामीटर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। **ऋण -जमा अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई है।**		**एस एल बी सी / समस्त बैंक**
2) प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाएँ घोषित की गई हैं। इस क्षेत्र में बैंकों ने सराहनीय कार्य किए हैं। जन धन योजना के तहत 40 लाख खाते खोले गए हैं । इन योजनाओं के तहत और भी ज़ोर देने की आवश्यकता है । **बैंक कैम्प लगाकर इन योजनाओं के तहत खाता खोलें ।**	**समस्त बैंक अनुपालन सुनिश्चित करें**	**एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक**
3) भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गयी **सुकन्या समृद्धि योजना** घोषित की गयी है । यह एक काफी अच्छी योजना है। इसे बहुप्रचारित कर लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। इस योजना का मूल उद्देश्य भारत में बालिकाओं के शिक्षा एवं विवाह पर होने वाले खर्चों में	**समस्त बैंक अनुपालन सुनिश्चित करें**	**एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक**

आने वाली कठिनाइयों को कम कर उन्हे आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करना है । इसलिए सभी बैंकों को इस योजना के तहत अधिक से अधिक खाते खोलना चाहिए।		
4) राज्य में ऋण की मात्रा बढ़ाने में कैंप मोड के तहत किए गए ऋणों के संवितरण (विशेष रूप से केसीसी के लिए आयोजित कैंप) के काफी अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हो रहें है। इस प्रयोग को जिलावर व्यवस्थित रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है।	**समस्त बैंक अनुपालन सुनिश्चित करें**	**एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक**
5) RSETI भवनों के लिए भूमि आवंटन का कार्य ,पाकुड़ ज़िले को छोड़ कर सभी जिलों में पूरा हो चुका है। पाकुड़ का मुद्दा भी जल्द सुलझ जाने की संभावना है। इसलिए अब भवन निर्माण के कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । इसमें प्रगति काफी धीमी है। RSETI के द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले कार्यों तथा दायित्वों में भी गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है।एस एल बी सी सुनिश्चित करें कि वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंको को जो लक्ष्य दिये जाते है, बैंक उन लक्ष्यों को प्राप्त करें।	**समस्त बैंक अनुपालन सुनिश्चित करें**	**एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक**
6)रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण कार्यालय, एसएलबीसी, आरबीआई, नाबार्ड आदि के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन की घोषणा विगत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी थी परंतु इसके लिए सभी बैंको को		राज्य सरकार/ **एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक**

औपचारिक रूप से झारखंड सरकार के राजस्व विभाग को आवेदन करने की आवश्यकता है।		

श्री के के ठाकुर ,मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल, का संबोधन

इस अवसर पर विशेष रूप से बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक श्री के के ठाकुर साहब को भी आमंत्रित किया गया था ताकि कनेक्टिविटी से संबिन्धित समस्याओं के निराकरण से संबन्धित मुद्दे पर चर्चा की जा सके। श्री ठाकुर ने 52 वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को राज्य के विकासके लिए मिल-जुल कर कार्य करने की आवश्यकता है तथा उनका विभाग भी बैंकों को अपनी बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। । उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	**बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
झारखंड राज्य के लगभग 42% गावों में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी नहीं है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में बीसी/बीसीए द्वारा ऑन-लाइन बैंक की सेवाएँ देना संभव नहीं है। श्री ठाकुर ने बताया की उनका विभाग इन समस्याओं से पूरी तरह अवगत है तथा उनके स्तर से इसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे LWE जिलों में 782 गाँव चिन्हित किए गए हैं । इनमें से 400 से अधिक लोकेशन पर काम चल रहा है। इसके लिए वाई-मैक्स टावर्स लगाए जा रहे हैं। जीएसएम सर्विसेस को भी दुरुस्त किया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी काम चल रहा है जिसके अच्छे परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। श्री ठाकुर ने विभिन्न बैंको के उच्च पदाधिकारियों के प्रश्नों को धैर्य पूर्वक सुना तथा सभी समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझा लिए जाने का भरोसा दिलाया।	इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया के रांची,जमशेदपुर तथा हजारीबाग अंचल के आंचलिक प्रबन्धकों,झारखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष तथा इलाहाबाद बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर ने बीएसएनएल की खराब कनेकटीविटी की समस्या को प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया। BSNL के मुख्य महाप्रबंधक ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।	**बीएसएनएल**

बैठक के सत्र -2(व्यवसाय -सत्र)की शुरूआत पिछली 51 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि से की गई ।

तत्पश्चात् श्री अंजन मैत्रा, मुख्य प्रबंधक, एस एल बी सी ने सभा में चर्चा किए जाने वाले विन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
<u>कार्य सूची सं-2</u> <u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)** और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u> राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, **1.** किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख, जो की **R.B.I** के नियमों के तहत अनिवार्य है, बैंकों को उपलब्ध करा सके| **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी, भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख	(a) 13 जिलों मे भूमि अभिलेख का डिजिटिकरण (अद्यतन के बिना) का कार्य JSAC द्वारा शुरू हो चुका है। शेष जिलों में कंप्यूटरीकरण का कार्य जिला स्तर पर शुरू किया गया। (b) भूमि के अभिलेख का ऑन लाईन म्यूटेशन का कार्य 6 जिला रांची, हजारीबाग,लोहरदगा,दुमका,रामगड एवं बोकारो के 35 सर्कल में शुरू किया गया जा चुका है । (c) SC/ST/OBC आवेदकों की भूमि बंधक रखकर शिक्षा,गृह एवं व्यावसायिक ऋण उपलब्ध करने हेतु CNT Act की धारा-46 एवं SPT Act की धारा-20 में संशोधन हेतु TAC की उप-समिति की अनुशंसा अप्राप्त होने के कारण प्रक्रिया विचाराधीन है । दिनांक 07.08.2015 को आयोजित Tribal Advisory Council की बैठक में माननीय मुख्य	राज्य सरकार

कर कृषि, **MSE,** शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	मंत्री की अनुशंसा पर एक उप समिति का गठन किया गया।यह उप समिति एससी/एसटी/ओबीसी के भूसंपत्ति को बंधक रख कर उनके द्वारा बैंक ऋण प्राप्त करने के प्रावधानों पर विचार कर सीएनटी/एसपीटी एक्ट में आवश्यक संसोधनों पर अनुशंसा करेगी।	
पी डी आर अधिनियम में संशोधन- राज्य सरकार के द्वारा ,एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने का प्रस्ताव था , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रंट कोर्ट फीस का भुगतान न कर रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का संशोधित प्रावधान लागू करने की प्रस्ताव था|	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है)।जो प्रस्ताव से भिन्न है| **कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नही हो रही है। राज्य सरकार से आशा की जाती है कि इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों को अधिसूचना के अनुदेशों का अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए।**	राज्य सरकार
“ बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम ” जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन **46वें बैठक में तय समय सीमा - 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।**	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, के गठन का परामर्श दिया है| उक्त परामर्श के आलोक में कार्यवाही, विभाग द्वारा विचाराधीन है |	राज्यसरकार

राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना।	Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारीयों की नियुक्ति हेतु "लोक मांग वसूली अधिनियम विधेयक" में उपयुक्त संशोधन हेतु मंत्रीपरिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है, विधानसभा की अगले सत्र में इसे उपस्थापित किया जाएगा|	राज्य सरकार
राज्य में बैंक के खजाने की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था **46वें बैठक में तय की गई समय सीमा - 02 माह**	राज्य सरकार के महानिरीक्षक - परिचालन ने दिनांक 3.06.2014 को एस आई एस एफ की तैनाती हेतु मॉडलिटिज पर वस्तृत चर्चा के लिए बैठक बुलाया । बैठक में अपेक्षित तैनाती हेतु जवानों की संख्या के अनुसार मासिक प्रभार की सूचना बैंकों को दे दी गई है। इसकी सूचना आरबीआई के इश्यू विभाग को भी दिया गया है। बैंकर्स ने दिनांक 28.07.2014 को आयोजित बैठक में मुद्रा - तिजोरी में एस आई एस एफ के लिए लागू प्रभार हेतु अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। इस संबंध में महानिरीक्षक , परिचालन को पत्र दिया गया है। महानिरीक्षक , परिचालन ने उपरोक्त कार्य में नियुक्त एस आई एस एफ के कर्मचारियों को आवास, आतिथ्य, चिकित्सा, बच्चों	राज्य सरकार एवं बैंक आरबीआई के श्री एम के वर्मा ने इस मुद्दे को राज्य सरकार तथा संबन्धित बैंक को आपसी सहमति से सुलझाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होने इन शर्तों को व्यावहारिक एवं बैंकों के द्वारा अनुपालन योग्य बनाने का अनुरोध किया।

	की शिक्षा, परेड मैदान आदि सुविधा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।इन शर्तों को लागू कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है, अत: इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के इश्यू विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।	
आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन .	➢ **भूमि आवंटित नही किया गया - पाकुड़** ➢ **आवंटित भूमि पर गांव वालों द्वारा बिरोध किया गया - गोड्डा, सिंहभूम (प)**	➢ **बैंक/राज्य सरकार**
नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।	योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति ने यह रिपोर्ट दी है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देताहै। इसके लिए ड्राफ्ट उप विधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है।	राज्य सरकार
रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	**झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित की गयी है।** **झारखंड सरकार के द्वारा, उपायुक्त, रांची को,SLBC व BOI की संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया ।**	**राज्य सरकार /** **विकास आयुक्त श्री आर एस पोद्दार ने संबन्धित बैंकों को इसके लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग को औपचारिक रूप से आवेदन करने के लिए कहा।**

<u>बैंक से संबधित मामले **Issues Pertaining To Banks**</u>

मामले	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बी ओ आई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है। **संलग्नक सं. 12 (डी) में लम्बित विवरणी संलग्न है।**	बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और सिंहभूम (पूर्व), धनबाद, खूंटी, चतरा में भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है| गढवा, गिरिडीह में जमीन पर Boundary Wall का कार्य पूरा हो गया है |	एलडीएम, गोड्डा के अनुसार गोड्डा में वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था करने की जरूरत है । चाइबासा में भी स्थानीय मुंडा समुदाय के लोगों के विरोध के चलते कार्य बाधित है।एलडीएम, जामतारा के अनुसार स्थानीय लोगों के विरोध के चलते यहाँ का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है तथा फ़ंड भी आवंटित नहीं हुआ है । एलडीएम, देवघर ने कहा कि भवन का ढांचा बन कर तैयार हो गया है।आनुसंगिक कार्य जैसे बिजली ,सैनिटरी फिटिंग्स आदि का काम चल रहा है। बाउंड्री वाल का काम फ़ंड की कमी के चलते अधूरा है। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक तथा सभा के अध्यक्ष, श्री मराठे साहब ने कहा कि निर्माण कार्य में काफी तेजी लाने की जरूरत है।अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गयी है तो इसका वहन संबिन्धित बैंक करें।

RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES को बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना |	बैंकों के द्वारा कुल 1698 कैंडिडेट्स को ऋण उपलब्ध करवाया गया |	आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा एवं सभाध्यक्ष श्री मराठे साहब ने सभी प्रशिक्षित बीसी को क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने को कहा।
कार्य सूची संख्या-3	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक	**एस एल बी सी ने सूचित किया कि झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमाओं में रूपये.20090.68 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई । 30 जून , 2015 तक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 16.56 प्रतिशत दर्ज की गई है|** राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में **रूपये** 7213.51 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई । **30 जून , 2015** तक वर्ष-दर वर्ष वृद्धि 12.22 प्रतिशत दर्ज की गई है। बैंकों का सीडी अनुपात 58.72 % से , पिछले एक साल मे बढ़ कर, 61.24 % हुआ है| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **30 जून , 2015** को रू. 8378.95 करोड़ (19.91 प्रतिशत) का नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है। यह एस बी आई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में रू. 10796.04 करोड़ वर्ष-दर-वर्ष की कमी के कारण हुआ है। हालांकि, समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 50.87 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।	**एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक**

	30 जून , 2015 को कृषि अग्रिम रू. 11780.34 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 17.78 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कुल रू. 1294.60 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.34 प्रतिशत की वृद्धि है। झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 11558.59 करोड़ (17.44 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है। **30 जून , 2015 तक** महिलाओं को रूपये **12234.64** करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष **-**दर**-** वर्ष आधार पर रूपये **1235.75** करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है जो की लगभग **11.23%** वृद्धि है । अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये **4320.28** करोड़ से, *पिछले एक साल मे बढ़ कर* रूपये **4976.72** करोड़ रूपये हो गया है । इसमें वर्ष **-**दर **-**वर्ष आधार पर **15.19** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का **14.76 %** है **,** जो मानक **15** प्रतिशत के आस पास है । समस्त उपस्थित सदस्यों ने बेहतर उपलब्धि के लिए बैंकों को बधाई दिया लेकिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि को सकारात्मक में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया।	

कार्यसूची सं. - 4 1. **वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि** 2. **वार्षिक ऋण योजना -2015-16**	इस विषय पर सैक्टर वार उपलब्धि पर चर्चा करते हुए एस एल बी सी ने बताया की विगत वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में इस वर्ष सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है तथा आनुपातिक आधार पर लक्ष्यों की उपलब्धि पिछली तिमाही में उत्साहवर्धक रही है। लक्ष्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने बताया कि एसीपी के अंतर्गत लक्ष्य काफी अधिक निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें व्यावहारिक रूप से प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए इसे पिछले वर्ष की वास्तविक उपलब्धि के आधार पर इन्क्रिमेंटल बजट देना चाहिए। खास कर"कृषि-ऋण में लक्ष्य काफी ज्यादा रखा गया है| इस पर चर्चा करते हुए यह तय किया गया कि कृषि-ऋण में बजट भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अत: इसे प्राप्त करने के उपाय ढूंढ़ना चाहिए । एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया कि राज्य के सभी जिलाओं में डी.एल.सी.सी द्वारा पी.एल.पी (Potential Linked Plan) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये " जिला वार्षिक ऋण योजना" बनाया गयी | सभी जिला के डी.एल.सी.सी बैठक में, इस योजना को पारित करने के उपरांत इसे एस.एल.बी.सी में भेजा गया| सभी जिलों के "जिला वार्षिक ऋण योजना" को एकत्रित कर, "राज्य वार्षिक ऋण योजना 2015-16" बनाया गया। श्री अंजन मैत्रा ने बताया कि पत्रांक : F.NO.-3/38/2012-AC , DFS,	**सभी बैंक**

	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,दि: 23.03.15, के अनुसार पूरे देश के लिये , वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषि-क्षत्र में रू. 8, 50,000 करोड़ ऋण संवितरण का लक्ष्य रखा गया है | जिसमे झारखंड राज्य का न्यूनतम लक्ष्य रू. 5240 करोड का है | इस बात पर भी चर्चा की गयी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कम ऋण का संवितरण चिंताजनक है क्योंकि यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र का focussed area है। मौजूदा भूमि की अनुपलबब्धता, भूमि बंधक के कड़े नियम, फसल बीमा सीमित समय तक उपलब्धता एवं वह भी चयनित फसलों के लिए, साथ-साथ सुरक्षा का वर्तमान माहौल एवं वसूली का वातावरण, कृषि क्षेत्र में ऋण क्षेत्र में बाधक साबित हो रहा है।	**सभी बैंक**
	इस पर झारखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री बृजलाल ने कहा ACP 2015-16 में उनके बैंक को दिया गया लक्ष्य काफी ज्यादा निर्धारित किया गया है और यह पिछले वर्ष की उपलब्धि के आंकड़ों को देखते हुए बहुत हद तक अव्यवहारिक भी है। उन्होनें यह भी कहा कि ग्रामीण बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों के लिए सीजीटीएमएसई कवरेज प्राप्त नहीं है। इसके लिए उन्होने एस एल बी सी से अनुरोध किया कि इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय तथा आरबीआई के समक्ष प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया जाय ताकि CGTMSE के मापदण्डों में बदलाव लाकर ग्रामीण बैंकों को भी इसके दायरे में लाया जा सके।	**राज्य सरकार/सभी बैंक /आरबीआई/डीएफ़एस,वित्तमंत्रालय**

<u>कार्यसूची सं. - 5</u> 1. **के सी सी, कृषि ऋण एवं रूपे कार्ड का संवितरण** 2. **रूपे कार्ड का जारी किया जाना**	इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया **कि राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रु.11780.34 करोड़ है जो सकल ऋण का 17.78 % है। यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 18% के लगभग बराबर है और यह निरंतर बढ़ रहा है। सभी हितधारकों, राज्य सरकार, बैंक, नाबार्ड और अन्य एजेंसियों का इस ओर फोकस होने के कारण इस क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।** **इस बात पर सहमति थी कि केसीसी का संवितरण** बैंक कैम्प मोड में करेंगे एवं इन कैम्पों में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। **एसएलबीसी** की उप समिति के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार एवं बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से पुराने एनपीए खातों में बकाया राशि की उगाही के उपरांत नयी लिमिट के साथ केसीसी की स्वीकृति, एक सुनियोजित योजना के तहत विशेष संयुक्त शिविर का आयोजन कर किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इन शिविरों में अबतक दो कैंपों में (14 जुलाई तथा 28 जुलाई को) 18193 केसीसी खातों में 28.83 करोड़ रुपए की उगाही की गयी है तथा नए 35105 खातों में 161.93 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।	**सभी बैंक**

	सभी सामान्य केसीसी खातों को दि.31.03.13 तक स्मार्ट केसीसी खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक रूप से रुपे कार्ड जारी कर देना था ताकि यह एटीएम एवं POS में भी कार्य कर सके। परंतु अभी तक सभी खातों में रुपे कार्ड जारी नहीं किया गया है। अभी तक कुल 451724 रुपे कार्ड जारी किया गया है। इस दिशा में शतप्रतिशत खातों में रुपे कार्ड 31.10.2015 तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों ने इसके लिए अपनी सहमति दी।	**सभी बैंक**
<u>**कार्यसूची सं. - 5.2**</u> **1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्तपोषण**	इस विषय पर एस एल बी सी ने सूचित किया कि झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों-के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध जून 2015, मे 52.84 %है। एम एस एम ई क्षेत्र में ऋण वितरण का राज्य में बहुत अधिक संभावनाएँ है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से धनी होने के साथ -साथ यहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कंपनियां संचालित है। यहां खान खनिज एवं कोयला आदि की भारी संपदा है। इनके लिए उचित एन्सियलरी उद्योग को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य में एम एस एम ई के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए। यह पाया गया है कि झारखंड में प्रयोग किए जाने वाले वस्तुओं का निर्यात ऋण कोलकाता, मुंबई आदि जगहों पर	**सभी बैंक**

	अवस्थित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है। स्थानीय शाखाओं को भी EXPORT CREDIT से संबन्धित सुविधाएं देने के लिए तैयार करना चाहिए। झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 225000 MSE ऋण खातें हैं,परंतु इनमें से केवल 49000 ऋण खातों में, यानी की सिर्फ 22% खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है| इसलिए एमएसएमई के अंतर्गत संवितरित ऋण हेतु अधिकाधिक कवरेज प्राप्त किया जाना चाहिए।	
<u>**कार्यसूची सं. - 5.3**</u> **1. शिक्षा ऋण**	एसएलबीसी ने सूचित किया है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण की संवितरण आशानुरूप नहीं है | पिछली SLBC की बैठकों में भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की जा चुकी है, परंतु इसके वावजूद आंकडों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है | पिछले साल की जून तिमाही में कुल 7301 शिक्षा ऋण की संवितरण की गई थी, जबकि इस वित्तीय वर्ष, 2015-16 में जून तिमाही तक सिर्फ 5588 शिक्षा ऋण का संवितरण हुआ है, यह एक चिंताजनक विषय है | उपस्थित, RBI के क्षेत्रीय निदेशक एवं बैंकों के सभी नियंत्रक प्रमुखों से यह आग्रह किया गया कि वे इस विषय पर गहन विचार के उपरांत सही निर्णय लें ताकि भविष्य में शिक्षा ऋण के संवितरण में सुधार नज़र आये | निजी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा अब तक सिर्फ 167 शिक्षा ऋण दिया गया है एवं इससे यह प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र	सभी बैंक

	के बैंक शिक्षा ऋण के संवितरण में काफी उदासीन रुख अपना रहे हैं। निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने एवं शिक्षा ऋण के अधिकाधिक संवितरण हेतु सुझाव दिया गया। निजी क्षेत्र के बैंक इंडस इंड बैंक के श्री राकेश कुमार ने सूचित किया कि उनके बैंक में शिक्षा ऋण के लिए कोई प्रॉडक्ट ही नहीं है, यह काफी आश्चर्यजनक है। सभाध्यक्ष श्री मराठे साहब ने निर्देश दिया कि संबन्धित बैंक अपने प्रधान कार्यालय से इस पर तुरंत बात कर शिक्षा ऋण के योजना की स्वीकृति सुनिश्चित करे। शिक्षा ऋण देश के मानव पूंजी के विकास के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। देश के भविष्य एवं आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। झारखंड से प्रतिवर्ष छात्र बड़ी संख्या में देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पा रहे है। राज्य के बैंकों से शिक्षा ऋण की स्वीकृति में और बेहतर भूमिका निभाने की अपेक्षा है इसके अलावा राज्य रोजगार के अवसर प्राप्ति हेतु युवाओं के कौशल विकास के लिए ऋण प्रदान करने का सुविधा प्रदान करता है।	निजी क्षेत्र के बैंक

<u>कार्यसूची सं. - 5.4</u> 1. आवास ऋण	एस एल बी सी ने सूचित किया कि राज्य में इस क्षेत्र में विकास के पर्याप्त अवसर है । परंतु राज्य में सीएनटी एक्ट की स्थिति एवं राज्य अपार्टमेंट एक्ट के अभाव एवं नगर पालिका क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण संबन्धित प्लान के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुपलब्धता आदि इस क्षेत्र में नए ऋण संवितरण में बाधक है ।एसएलबीसी में यह सुझाव दिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा महाराष्ट्र अपार्टमेंट एक्ट कि तर्ज़ पर झारखंड राज्य में भी एक प्रभावी एक्ट बनाया जाय ताकि यहाँ के निवासियों को फ्लैट के लिए आसानी से बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जा सके। प्रधान सचिव, श्री एन एन सिन्हा ने आश्वासन दिया की इस संबंध में निकट भविष्य में सरकार द्वारा नियमन लाने की संभावना है।	सभी बैंक/झारखंड सरकार,नगर विकास विभाग
<u>कार्यसूची सं. - 5.5</u> 1. **अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह**	**एस एल बी सी ने सूचित किया कि अल्पसंख्यक समुदायों हेतु अग्रिम** 30 **जून , 2015 तक** 14.76 % **है जो कि 15% के बेंच मार्क के नीचे है , परंतु** 30 **जून , 2014 के** 10.26 % **से बढ़कर** 14.76 % **हो गया है।**	सभी बैंक
2. **महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह**	इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया कि महिलाओं को प्रदत्त	

	ऋण का प्रतिशत राज्य में पिछली तिमाही में 18.46% है जो कि 5% के बेंचमार्क से काफी ऊपर है। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि इस क्षेत्र में वार्षिक लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जाए।	
3. **डी आर आई के लिए ऋण प्रवाह**	**इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया कि** डी.आर.आई के तहत विभिन्न बैंकों की भागीदारी धीरे-धीरे कम हो रही है । बैंकों को डीआरआई योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के वित्तपोषण के लिए छोटे गतिविधियों जैसे सब्जी विक्रेताओं, रिक्शा चालक, छोटी स्ट्रीट विक्रेताओं, हॉकरों आदि की ऋण उपलब्ध करवाने की पहल करनी चाहिए । इस विषय पर सर्वसम्मति से तय किया गया कि भारतीय रिजर्व के निर्देशानुसार डी आर आई योजना के तहत लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। एस एल बी सी ने सूचित किया कि राज्य में **नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या लगभग 57293, एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या 23716, एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या 7633 है। क्रेडिट संवितरण की राशि 62.63 करोड़ है । इस विषय पर निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में संवितरण को बढ़ाया जाना चाहिए। एसएलबीसी द्वारा सभी बैंकों को ऋण प्राप्ति हेतु योग्य एसएचजी की सूची उपलब्ध करा दिया गया है। सभी बैंकों से आग्रह किया गया की इस सूची के सभी ग्रुप्स का क्रेडिट लिंकेज अविलंब किया जाए ।**	**सभी बैंक** **सभी बैंक**

कार्यसूची सं. - 5.6 **1. महिला एस एच जी के वित्तपोषण हेतु योजना**	**प्रधान सचिव, GOJ, श्री एन एन सिन्हा ने बताया कि सभी बैंकों को जिलावर तथा शाखावार लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सभी बैंकों को COMMON APPLICATION FORM अपनाना चाहिए । लोन आवेदन के त्वरित निष्पादन हेतु निर्धारित TURN AROUND TIME (15 दिन) का अनुपालन सभी बैंकों को द्वारा सुनिश्चित किया जाय।** **चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि विभिन्न जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को संवितरित ऋण की राशि रु.50000/- से भी कम है तथा छात्र ज़िले में यह राशि रु.20000/- से भी कम है। सभी नियंत्रक प्रमुखों को इसमें सुधार के लिए अपनी शाखाओं को आवश्यक निर्देश देने का सुझाव दिया गया।**	**सभी बैंक**
	1.एस एल बी सी ने बताया कि क्रेडिट लक्ष्य की गणना जिलावार पात्र एस एच जी की संख्या के आधार पर किया गया है। बाद में उप समिति के सदस्यों से यह भी सुझाव आया कि एस एच जी क्रेडिट लक्ष्य बैंकवार भी दिया जाना चाहिए ।	**सभी बैंक**
	2.बैंक सखी - सभी बैंकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया की एसएचजी की महिला सदस्यों को मदद करने के लिए जेएसएलपीएस के द्वारा पदस्थापित बैंक सखियों को शाखा के अंदर बैठने के लिए स्थान का प्रावधान किया जाना चाहिए।	**सभी बैंक**

<u>कार्यसूची सं. - 5.7</u> 1. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)**	एसएलबीसी के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में दर्ज की गयी उपलब्धियों की चर्चा की गयी। इस योजना के तहत अब तक 40 लाख खाते खोले गए हैं। इनमें लगभग 30 लाख खातों में रुपे कार्ड जारी किए गए हैं तथा 24 लाख खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। शेष खातों में रुपे कार्ड जारी करने तथा आधार से जोड़ने का निश्चय दोहराया गया।	
<u>कार्यसूची सं. - 6</u> <u>वित्तीय समावेशन</u> 1. <u>प्रधानमंत्री जन धन योजना</u>	प्रधान मंत्री जनधन योजना के तहत दूसरे चरण में घोषित तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, PMJJBY, PMSBY & APY की विस्तृत चर्चा की गयी तथा इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आश्वासन सभी सदस्य बैंकों द्वारा दिया गया। इन योजनाओं में 17.07.2015 तक कुल 1426834 खाते खोले जा चुके हैं। इन स्कीम को और अधिक लोकप्रिय एवं सरल बनाकर इसका दायरा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने रक्षा बंधन तथा अन्य पर्वो के अवसर पर “सुरक्षा बंधन” स्कीम के तहत 01.08.2015 से बीमा आधारित तीन गिफ्ट प्रोडक्ट जारी करने की घोषणा की है		**सभी बैंक** **सभी बैंक**

	यथा - I. सुरक्षा डिपोजिट योजना II. जीवन सुरक्षा योजना III. जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक़ इन स्कीम को लागू कर लाभार्थी की बीमा सुरक्षा लंबे समय तक सुनिश्चित की जा सकती है| बैंक की सभी शाखाओं मे उपयुक्त गिफ्ट उत्पाद आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध होंगे| सभी सदस्य बैंकों ने इन्हें लागू करने के किए सहमति दिखाई। सरकार के उप सचिव श्री यतीन्द्र प्रसाद ने अपने पत्रांक संख्या-03-स्था.-33 /2015/4270(अनु.)ग्रा.वि.,राँची, दि. 17.08.15 के द्वारा सूचित किया है कि 12.08.15 के एसएलबीसी की मीटिंग में डाइरैक्ट बेनिफ़िट ट्रान्सफर एवं मनरेगा से संबन्धित बिन्दुओं पर चर्चा नहीं हो सकी अतः इससे संबन्धित सभी मुद्दों को सभी संबन्धित बैंकों को निदान हेतु भेजा जाय। इन मुद्दों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबन्धित सभी खातों में पासबुक निर्गत करना, रुपे कार्ड जारी करना, इन खातों में पर्याप्त पैसे रखने के लिए खाताधारकों को शिक्षित करना ताकि इन योजनाओं का लाभ उन्हे मिल सके। इस योजना से जुड़ी ओवर ड्राफ्ट सुविधा को समुचित रूप से इनके बीच प्रसारित करना, सभी खाताओं को आधार से जोड़ना, सुरक्षा योजनाओं के तहत खाते	

	से रकम का ऑटो डेबिट ना होना शामिल है। अतः सभी बैंकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त मुद्दों का संज्ञान गंभीरता पूर्वक ले कर इनके निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई करें। वनांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि द्वारा यह मुद्दा उठाया गया की गढ़वा ज़िले में Ultra Small Branch का आवंटन सर्विस एरिया के अनुरुप नहीं किया गया है। इस समस्या को क्षेत्र के एलडीएम द्वारा डीएलसीसी की मीटिंग में चर्चा कर सुलझाने का आग्रह किया गया। प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार ने प्रज्ञा केन्द्रों की कुल संख्या 3000 एवं वर्तमान में कार्यरत 2200 बैंक मित्रों के बीच 800 के अंतर की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके लिए संबन्धित बैंकों से अनुरोध किया गया कि रिक्त स्थानों पर BCs की नियुक्ति करें।	**संबन्धित बैंक/एलडीएम,गढ़वा /डीएलसीसी** **संबन्धित बैंक**
<u>कार्यसूची सं. - 7</u> **<u>1. एन पी ए एवं वसूली</u>**	**इस विषय पर चर्चा करते हुए यह पाया गया कि झारखंड राज्य में बढ़ता एन पी ए एवं स्ट्रेस्ड आस्तियों का बढ़ता आकार गंभीर रूप लेता जा रहा है। निम्नांकित आंकड़े चिंताजनक हैं :** i. **झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय अस्ति** (N.P.A) , **एक**	**सभी बैंक/राज्य सरकार/आरबीआई**

	चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है | यद्दपि वर्ष-दर-वर्ष NPA में **0.05%** की मामूली गिरावट नजर आती है, परंतु रु.**401.27** करोड़ का NPA, जो कि सकल अग्रिम का **5.97%** है, एक चिंताजनक आंकड़ा है एवं RBI द्वारा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा है | ii. ज्यादा NPA बैंकों के नए ऋण-संवितरण में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है एवं राज्य के अंदर नई ऋण की स्वीकृति में एक शंका के वातावरण का कारण बन रहा है| iii. NPA एवं उससे संवंधित PROVISIONING बैंकों के CAPITAL BASE पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं| iv. RBI, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या का एक कारगर निदान निकालने की आवश्यकता है , बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से इस विषय को काफी गंभीरता से ले कर इसकी रोकथाम के लिए कारगर उपाय करने का अनुरोध किया गया। v.सभा के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि SARFAESI ACT के तहत चल अचल संपत्ति का POSSESSION दिलवाने तथा नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में बैंकों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दिया जाएगा।	

<u>कार्यसूची सं. - 8</u> <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी)</u> <u>कार्यसूची सं. - 9</u> 1. <u>आर. से. टी. / एफ. एल. सी. का परिचालन</u>	एसएलबीसी ने सूचित किया की इस योजना के तहत 30.06.2015 को समाप्त तिमाही में कुल 3367 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 3296 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। विगत तिमाही में कुल 36.52 करोड़ की राशि संवितरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सबसिडी प्राप्त करने की तिथि 31.05.2015 तक बढ़ा दिया गया था। इसके कारण से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान का प्राप्त कुछ आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत किया गया है। पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट नहीं गया किया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए। एसएलबीसी द्वारा झारखंड राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित आरसेटी की वर्तमान स्थिति मसलन निदेशकों की पोस्टिंग ,परिसर की स्थिति, भूमि आवंटन की स्थिति, निदेशकों के प्रशिक्षण, आरसेटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यकर्मों आदि पर विस्तृत	सभी बैंक

	चर्चा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण का कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा किया जाय। प्रशिक्षित बीसी का क्रेडिट लिंकेज बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाय। परंतु 4186 प्रशिक्षार्थियों में से केवल 166 का ही क्रेडिट लिंकेज हो पाया है। **51वीं** SLBC **बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी इच्छुक** RSETI **प्रशिक्षार्थीयों को अनिवार्य रूप से उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा** CREDIT LINKAGE **की जाएगी** | RSETI **निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित शाखाओं में आवेदन भेजा जाएगा एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेगा** | **परंतु आंकड़ों से यह प्रतीत होता है की यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतु उपलब्धि आशाजनक नहीं है,** SPC , RSETI **से यह आग्रह है कि वे , इस विषय की** MONITORING **करें एवं अगर किसी बैंक के द्वारा** SLBC **के उपरोक्त निर्णय का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उन शाखाओं की जिलावार व बैंकवार सूची** SLBC **को उपलब्ध कराएँ , ताकि संवंधित नियंत्रकों से इस मुद्दे का निष्पादन करवाया जा सके** |	**सभी बैंक**

2. <u>वित्तीय साक्षरता केन्द्र का संचालन</u>	**आर.बी.आई के निर्देशानुसार, विभिन्न जिलास्तर पर संचालित सभी अग्रणी बैंकों को प्रत्येक** LDM **कार्यालयों में,समयबद्ध ढंग से एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का स्थापना करना अनिवार्य है|आर.बी.आई द्वारा यह निर्देश भी दिया गया की सभी बैंको के ग्रामीण शाखाओं को आवश्यक तौर पर** F.L.C Camp **का आयोजन करना है| इसके अलावा बैंक दूसरों स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता केन्द्रो की स्थापना पर विचार कर सकते हैं |वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (**FLCs) **बैंक ऑफ इंडिया ,एसबीआई, इलाहाबाद बैंक द्वारा झारखंड राज्य में परिचालित हो रहे हैं। इसके अलावा झारखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा 16 एवं वनांचल ग्रामीण बैंक द्वारा 9 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जून तिमाही के दौरान कुल 2340 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया है। जिनमें से विभिन्न बैंकों के ग्रामीण शाखाओं के द्वारा जून, 2015 तिमाही में कुल 1763 एफ़ एल सी कैंप का आयोजन किया गया था।**	**सभी बैंक**

<u>**कार्यसूची सं. - 10 विविध**</u> **1.** 1.Textile **मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में,** Handloom Weavers **को ऋण वितरण में , सभी बैंकों के द्वारा अपेक्षित गति प्रदान हेतु , SLBC बैठक में उपयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है|** (**प्रस्तावक-**Textile **मंत्रालय, भारत सरकार**)	इस विषय पर चर्चा के दौरान ये बातें उभर कर सामने आई की अभी सभी बैंकों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इस संबंध में हैंडलूम विभाग के निदेशक श्री मिश्रा साहब से अनुरोध किया गया कि वे सारी संबन्धित जानकारी मुहैया कराएं ताकि इस का कार्यान्वयन सभी बैंकों के माध्यम से कराया जा सके।	**हैंडलूम विभाग/एसएलबीसी/सभी बैंक**
2. **Skill Development and Enterpreneurship मंत्रालय , भारत सरकार के द्वारा प्रवर्तित "Model Scheme for Skill Loan" की योजना को झारखण्ड में, सभी बैंकों के द्वारा लागु करवाने की संवंध में , SLBC बैठक में उपयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है |** (प्रस्तावक -DFS ,MOF , GOI)	डीएफ़एस द्वारा प्रस्तावित इस स्कीम को लागू करवाने के लिए इसे सभी बैंकों को भेजा जाएगा तत्पश्चात कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	**एसएलबीसी/सभी बैंक**
3.वित्तीय सेवा बिभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार की आदेश संख्या :1/19/2014-P & PW(E) ,dt. – 14.01.15(COPY ATTACHED)के द्वारा प्रवर्तित , पेंशन खातों में , "जीवन-प्रमाण" (Digital Life Certificate) का लागू करवाना | **(प्रस्तावक - UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय ,रांची)**	**"जीवन प्रमाण"** भारत सरकार द्वारा सभी पेंशनधारियों के लिए जारी की गयी योजना है जिसके तहत उन्हें किसी भी जगह से "जीवन प्रमाण पोर्टल "के द्वारा अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी।इस संबंध में सभा में विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी बैंकों को इसे यथाशीघ्र लागू करने का आग्रह किया गया। यूआईडीएआई के प्रतिनिधि ने इसके लिए उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी तथा सभी बैंकों को	**एसएलबीसी/सभी बैंक/UIDAI**

	अपने नोडल प्रतिनिधियों को इस शिविर में भेजने का आग्रह किया। एसएलबीसी ने सूचित किया कि बैंक ऑफ इंडिया के 80 शाखाओं के प्रतिनिधि 14 अगस्त 2015 को होने वाले शिविर में भाग ले रहे हैं। एसबीआई ने भी अपने कुछ शखाओं में इसकी शुरुआत की है। सभा के दौरान सभी बैंकों ने इस योजना को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की ।	
<u>कार्यसूची सं. - 11</u> **1. सुकन्या समृद्धि योजना को झारखंड राज्य में लोकप्रिय बनाना एवं सभी बीएआईएनकेओएन द्वारा राज्य में लागू करवाना।** **(प्रस्तावक: झारखंड सरकार)**	भारत सरकार के द्वारा बहुप्रचारित एवं प्रसारित **" बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ "** अभियान के तहत वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2015 को बालिकाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गयी **सुकन्या समृद्धि योजना** के जारी करने की घोषणा की है। इस योजना का मूल उद्देश्य भारत में बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह पर होने वाले खर्चों में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उन्हे आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करना है ।यह योजना 0 से 10 वर्ष की बालिकाओं के लिए सभी बैंकों में उपलब्ध है। सभा के दौरान इसके सभी पहलुओं पर चर्चा हुई तथा इसके अंतर्गत अधिक से अधिक बालिकाओं का खाता खोलने के लिए सभी बैंकों से आग्रह किया गया। सभी बैंकों ने इसके लिए अपनी सहमति दी। उनकी तरफ से यह भी बताया गया की यह योजना संप्रति लगभग सभी बैंकों में लागू है तथा इसके अंतर्गत काफी खाते खोले भी जा चुके हैं।	**सभी बैंक**
2. खाद्य आपूर्ति विभाग ,झारखंड सरकार के द्वारा प्रवर्तित ,नए कार्यपालक निर्देशानुसार ,राइस मिलों से चावल के उठाव एवं खरीद पर रोक के चलते ,कई राइस मिल बंद हो गए हैं	यह मुद्दा प्रमुख रूप से बैंक ऑफ इंडिया के हजारीबाग अंचल के आंचलिक प्रबन्धक द्वारा उठाया गया तथा इसमें झारखंड सरकार से हस्तेक्षप कर समस्या को तत्काल प्रभाव से सुलझाने की अपील की गयी।इसपर	

,फलस्वरूप कई बैंकों के ऋण-खाता बंद हो गए हैं। जबकि भारत सरकार एवं उद्योग विभाग झारखंड सरकार के द्वारा भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रति बैंको को प्रोत्साहन देने पर ज़ोर दिया जा रहा है। झारखंड सरकार से यह अनुरोध है की इस विषय पर पुनर्विचार करे ताकि मौजूदा गतिरोध दूर किया जा सके । **(प्रस्तावक: बैंक ऑफ इंडिया)**	झारखंड सरकार के मुख्य सचिव ,योजना एवं वित्त विभाग के श्री अमित खरे ने इस मुद्दे पर अलग से सभी संबन्धित पक्षों को राज्य सरकार से बात करने की सलाह दी।	**संबन्धित पक्ष/राज्य सरकार**
3.वित्तीय वर्ष 2016-17 से सभी जिलों के लिए एक व्यावहारिक POTENTIAL LINKED PLAN **बनाने में अग्रणी ज़िला प्रबन्धक ,नाबार्ड के डीडीएम के साथ अपना योगदान सुनिश्चित करें।** **(प्रस्तावक: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,झारखंड)**	**सभा के दौरान सभी बैंक के नियंत्रण प्रमुखों ने बैंकों को ज़िला स्तर पर POTENTIAL LINKED PLAN के तहत आवंटित लक्ष्यों को अधिक तार्किक एवं व्यावहारिक बनाने के लिए अपने सुझाव रखे। इसे राज्य की भौगोलिक, आर्थिक , सामाजिक स्तर, संसाधनों की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधा आदि पहलुओं का गुणात्मक रूप से अध्ययन कर लक्ष्य का निर्धारण संयुक्त रूप से नाबार्ड के डीडीएम, ज़िले के एलडीएम तथा ज़िले के कृषि विभाग के स्पेशलिस्ट अधिकारी की एक संयुक्त समिति के तत्त्वाधान में कराने पर बल दिया गया। सरकार की तरफ से प्रधान सचिव, श्री एन एन सिन्हा ने इस पर सकारात्मक विचार रखे तथा आश्वासन दिया।**	**सभी बैंक/राज्य सरकार/नाबार्ड**

सभा के अंत में श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ,उप-महाप्रबंधक ,बैंक ऑफ इंडिया ,ने सभी गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया एवं सभा समाप्ति की घोषणा की ।